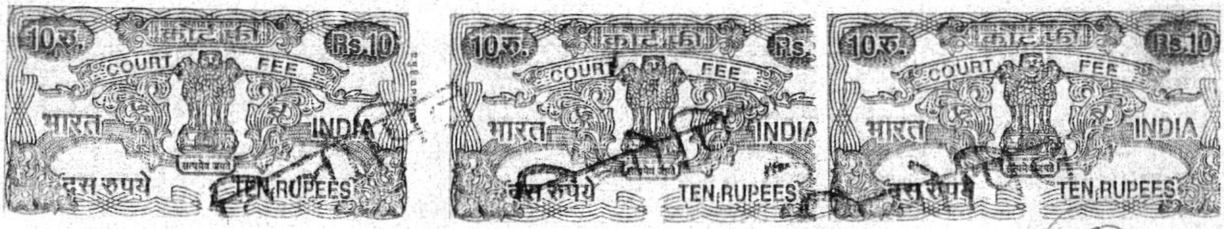

(113)

समक्ष :– माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कं. /2018 PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2018/0277

श्री तपन विश्वास पिता हराधन विश्वास, उम्र 48 वर्ष

जाति बंगाली निवासी आमडोह, तहसील घोड़ाडोंगरी

जि.बैतूल (म0प्र0) मो0नं0–9425629273

...........निगरानीकर्ता

श्री सुखदेव गाकरे 150 द्वारा 10-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-2-18 नियत 10-1-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र.

बनाम

मध्यप्रदेश शासन, जिला बैतूल

..........उत्तरकर्ता

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959</u>

निगरानीकर्ता निम्न विनय करता है कि :–

न्यायालय	–	माननीय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होंशगाबाद (श्री उमाकांत उमराव)
रा0अ0कं0	–	98 वर्ष 2017–18
आदेश दिनांक	–	28.12.2017
धारा	–	44 (2) म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मे पारित आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग / बैतूल / भूरा / 2018 / 277 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने स्वयं अतिकमण करना स्वीकार किया है । वह अपने स्वत्व का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका है । ऐसी स्थिति में अपील निरस्त करने में आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	